न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 585 सन 2022

अनवान :–

1. भंवरसिह पुत्र दुलसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सांवरसिह पुत्र चीमाराम जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
2. बालसिह पुत्र चीमाराम जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
3. रतनसिह पुत्र चीमाराम जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
4. कृष्णा कंवर पत्नी स्व भैरूसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
5. नरेन्द्रसिह पुत्र स्व भैरूसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
6. सोनूसिह पुत्र स्व भैरूसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
7. ममता पुत्री स्व भैरूसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
8. रिटा कंवर पुत्री स्व भैरूसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
9. गीता कंवर पत्नि भानीसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
10. रेवन्तसिह पुत्र स्व भानीसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
11. जीवणसिह पुत्र स्व भानीसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
12. सुमेरसिह पुत्र स्व भानीसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
13. जीराजसिह पुत्र स्व भानीसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
14. महेन्द्रसिह पुत्र दुलसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
15. श्रवणसिह पुत्र दुलसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
16. भीगसिह पुत्र दुलसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
17. मैना कंवर पत्नी स्व दुलसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
18. सुमन कंवर पुत्री स्व दुलसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
19. इन्द्रकंवर पुत्री स्व दुलसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादी

21. हरकोरी पत्नी सन्तलाल जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।

तरतीवी प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 22/07/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 87/89 की कुल 5.0960हैक में सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 80/90 की कुल 18.6280हैक भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 19 के नाम दर्ज है

उक्त भूमि पूर्व मे वादी के पुर्वज चीमाराम के नाम से दर्ज थी चीमा के दो पत्नीया चन्द्रोदेवी व सुन्दरदेवी थी चीमाराम के फोत होने पर उनकी दोनो पत्नीयो चन्दो एव सुन्दर भी फोत हो चुकी है तथा चन्दो के पुत्र दुलसिह उर्फ ज्ञानसिह भी फोत हो चुका है तथा चीमाराम की दुसरी पत्नी सुन्दर देवी के वारिसान में से भेरूसिह एवं भानीनसिह फोत हो चुके है इसप्रकार चीमाराम व उनकी पत्नीयो के देहान्त होने के बाद उनके जीवित सदस्य /वारिस वादी /प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 है तथा चीमाराम के पुत्र रतनसिह खोले चला गया जो अपने खोलायत पिता के साथ रहता है।

वाद भूमि चीमाराम एवं उनकी पत्नीयो/पुत्रों के देहान्त होने के बाद उनके वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 के नाम दर्ज हो चुकी है जिसमे से 2.275हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 21 को बेचान की जा चुकी है।

प्रतिवादी संख्या 17 ,18 वादी एव प्रतिवादी संख्या 14 ता 16 का बहन व प्रतिवादी संख्या 7 ,8 प्रतिवादी संख्या 5 ,6 की बहन प्रतिवादी संख्या 9 प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 की माता है

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 17 ,18 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईया/माता के पक्ष मे त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,10 ता 16 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया जा चुका है उसी के अनुसार काश्त करते आ रहे है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,10 ता 16 अपने बाहमी बटवारा अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 को कई मर्तबा कहा की वादी एव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा एव बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अत: वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि जो वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 जरिये अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने निवेदन किया की निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज चीमाराम के नाम से दर्ज थी चीमाराम एवं उनकी पत्नीयों एवं पुत्रों के देहान्त होने के बाद जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 है जिनके वाद भूमि दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 ,17 ता 19 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 , 10 ता 16 के हक हिस्सा भूमि है जिसका बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार काश्त करते आ रहे है वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,10 ता 16 के हक हिस्सा की भूमि है जिन्हे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 20 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 87/59 की कुल 5.0960हैक मे सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 80/90 की कुल 18.6280हैक भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 19 के नाम दर्ज है

उक्त भूमि पूर्व मे वादी के पुर्वज चीमाराम के नाम से दर्ज थी चीमा के दो पत्नीया चन्दोदेवी व सुन्दरदेवी थी चीमाराम के फोत होने पर उनकी दोनो पत्नीयो चन्दो एव सुन्दर भी फोत हो चुकी है तथा चन्दो के पुत्र दुलसिह उर्फ ज्ञानसिह भी फोत हो चुका है तथा चीमाराम की दुसरी पत्नी सुन्दर देवी के वारिसान में से भेरूसिह एवं मानीनसिह फोत हो चुके है इसप्रकार चीमाराम व उनकी पत्नीयो के देहान्त होने के बाद उनके जीवित सदस्य /वारिस वादी /प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 है तथा चीमाराम के पुत्र रतनसिह खोले चला गया जो अपने खोलायत पिता के साथ रहता है।

वाद भूमि चीमाराम एवं उनकी पत्नीयो/पुत्रों के देहान्त होने के बाद उनके वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 के नाम दर्ज हो चुकी है जिसमे से 2.275हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 21 को बेचान की जा चुकी है।

प्रतिवादी संख्या 17 ,18 वादी एव प्रतिवादी संख्या 14 ता 16 का बहन व प्रतिवादी संख्या 7 ,8 प्रतिवादी संख्या 5 ,6 की बहन प्रतिवादी संख्या 9 प्रतिवादी संख्या 11 ता 13 की माता है प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 17 ,18 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईया/माता के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,10 ता 16 के हक हिस्सा की भूमि है जिसका आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया जा चुका है उसी के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

अनुसार काश्त करते आ रहे है वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,10 ता 16 अपने बाहमी बटवारा अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध मे न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 87/89 की कुल 5.0960हैक में सयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 80/90 की कुल 18.6280हैक भूमि मे वादी एव प्रतिवादी संख्या 19 के नाम दर्ज है

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में चीमाराम के नाम से दर्ज थी वादी के पूर्वज चीमाराम एव उनकी पत्नीयों /पुत्रो के देहान्त होने के बाद विरासतन से वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि चीमाराम के देहान्त होने के बाद विरासतन से से वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 के नाम से दर्ज हुई थी प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 ,17 ता 19 ने अपने हको का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,10 ता 16 के पक्ष में किया जा चुका है जो उनके कब्जा काश्त में है जिसे राजस्व रिकार्ड में बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 ,17 ता 19 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,10 ता 16 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तो जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 ,17 ता 19 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 87/89 की कुल 5.0960हैक में से सयुक्त तौर से 1/2 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 के पास 0.9035हैक एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 के पास 1.6445हैक बहिब के खातेदार काश्तकार रहेगी एवं खाता संख्या 80/90 की 18.6280है भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 14 ता 16 बहिब 5.313हैक व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 बहिब 3.454हैक प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 2.632हैक प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 3.2002हैक प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 बहिब 1.7538हैक भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तरतीबी प्रतिवादी संख्या 21 अकेली 2.275हैक भूमि यथावत रहेगी मृतक चन्दो , दुलसिह , चन्दोकवर , ज्ञानसिह का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 22/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. भंवरसिह पुत्र दुलसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1 सांवरसिह पुत्र चीमाराम जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
2. बालसिह पुत्र चीमाराम जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
3. रतनसिह पुत्र चीमाराम जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
4. कृष्णा कंवर पत्नी स्व भैरूसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
5. नरेन्द्रसिह पुत्र स्व भैरूसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
6. सोनूसिह पुत्र स्व भैरूसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
7. ममता पुत्री स्व भैरूसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
8. रिटा कंवर पुत्री स्व भैरूसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
9. गीता कंवर पत्नि भानीसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
10. रेवन्तसिह पुत्र स्व भानीसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
11. जीवणसिह पुत्र स्व भानीसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
12. सुमेरसिह पुत्र स्व भानीसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
13. जीराजसिह पुत्र स्व भानीसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
14. महेन्द्रसिह पुत्र दुलसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
15. श्रवणसिह पुत्र दुलसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
16. भीमसिह पुत्र दुलसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
17. मैना कंवर पत्नी स्व दुलसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
18. सुमन कंवर पुत्री स्व दुलसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
19. इन्द्रकंवर पुत्री स्व दुलसिह जाति दरोगा साकिन जबरासर तहसील नोहर।
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादी

21. हरकोरी पत्नी सन्तलाल जाति जाट निवासी जबरासर तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 585 सन 2022 निर्णय दिनांक– 22/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोवर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 87/89 की कुल 5.0960हैक मे से सयुक्त तौर से 1/2 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 के पास 0.9035हैक एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 के पास 1.6445हैक बहिब के खातेदार काश्तकार रहेगी एवं खाता संख्या 80/90 की 18.6280है भूमि मे से वादी व प्रतिवादी संख्या 14 ता 16 बहिब 5.313हैक व प्रतिवादी सख्या 4 ता 6 बहिब 3.454हैक प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 2.632हैक प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 3.2002हैक प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 बहिब 1.7538हैक भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तरतीबी प्रतिवादी संख्या 21 अकेली 2.275हैक भूमि यथावत रहेगी मृतक चन्दोकंवर , दुलसिह , वन्द्रोकरव , ज्ञानसिह का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner